प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक–3272/1995

याचिकाकर्ता : के. आर. ठाकुर, आत्मज श्री जगदीश सिंह ठाकुर, उम्र लगभग **45** वर्ष,व्यवसाय-सेवा(सदोषपूर्णपदच्युतकियागया),निवासी-अलबेलापारा, कांकेर, जिला-बस्तर।

बनाम

उत्तरवादीगण: 1. देना बैंक एक बैंकिंग कंपनी बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 के अधीन निगमित जिसका मुख्य कार्यालय बंबई में है, द्वारा- अध्यक्ष

2. महाप्रबंधक (ओ. आर. आई) देना बैंक, वैयक्तिक विभाग,बंबई

3. सहायक महाप्रबंधक (पी) ,वैयक्तिक विभाग, देना बैंक, बंबई

4. अंचल प्रबंधक, देना बैंक, अंचल कार्यालय भोपाल

5. क्षेत्रीय प्रबंधक, देना बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय,रायपुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल पीठ : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

उपस्थिति

अपीलार्थी की ओर से:– श्री पराग कोटेचा, अधिवक्ता

उत्तरवादीगण की ओर से:– श्री पी एस कोशी, अधिवक्ता

मौखिक आदेश

(20 जनवरी, 2006)

न्यायालय का निम्न आदेश माननीय न्यायमूर्ति **श्री सतीश के. अग्निहोत्री** द्वारा पारित किया गया।

(1) यह याचिका बैंक के एक अधिकारी जिन्हे उत्तरवादी क्रमांक–3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.11.1994 (दस्तावेज क्रमांक–10) द्वारा सेवा से पदच्युत कर दिया गया था जिसकी पुष्टि

बाद में उत्तरवादी क्रमांक–2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04.1995 (दस्तावेज क्रमांक–12 और 12–अ) द्वारा किया गया, द्वारा प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि याचिकाकर्ता को आदेश दिनांक 07.04.1976 (दस्तावेज क्रमांक–1) के माध्यम से लिपिक सह कैशियर के पद पर नियुक्त किया गया था तथा वे विकास प्रबंधक के कार्यालय में पदस्थ थे। इसके पश्चात आदेश दिनांक 13.04.1985(दस्तावेज क्रमांक–2) के माध्यम से याचिकाकर्ता को कनिष्क प्रबंधक वेतनमान –1 के पद पर पदोन्नत किया गया।

3. दिनांक 03.11.1993 को अनुशासनात्मक प्राधिकारी अर्थात अंचल प्रबंधक (उत्तरवादी क्रमांक–4), भोपाल द्वारा आरोप पत्र का ज्ञापन जारी किया गया जिसके तहत अभियुक्त के विरुद्ध इस आशय का गंभीर कदाचार का आरोप लगाया गया था कि भैंसमुंडी शाखा के शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत रहने के दौरान याचिकाकर्ता ने जोनल कार्यालय से 1,25,000/– रुपये का होम लोन लिया था याचिकाकर्ता ने बिना किसी प्राधिकार के 1,25,000 रुपये के होम लोन के विरुद्ध 2,27,000/– रुपये अपने पक्ष में संवितरित कर लिया। आगे याचिकाकर्ता ने साधारण बही खाता में चिपकने वाले स्टाम्प खाता में 16.10.1992 को रूपए 3129/– डेबिट किया, जबकि इसके विरुद्ध स्टॉक में रूपए 399/– चिपकने वाले स्टाम्प पाए गये। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने 2730/– रुपये का दुर्विनियोग किया। इसके अलावा आसंजक स्टाम्प खरीदने का अधिकार न रखते हुये भी उनके द्वारा नकद वाउचर से 1,19,000/–रुपये की राशि निकाली गयी। इसके बाद दिनांक 1.12.1990 और दिनाँक 30.08.1991 को क्रमशः 5000/– और 14,000/– रुपये की प्रविष्टियों का फेरफार किया गया। तदनुसार याचिकाकर्ता पर निम्न आरोप लगाए गए:–

1) अच्छे आचरण और अनुशासन की कमी और/या

(2) निष्ठा की कमी और/या

(3) बेईमानी और/या

(4) शाखा प्रबंधक के रूप में अपने पास निहित अधिकार का व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग करना और/या

(5) बैंक अधिकारी के अनुरूप आचरण न करना।,

देना बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियमन 1976 के विनियमन 24 सहपठित विनियमन 3 (1) के तहत कदाचार के कई आरोपों के लिए आरोप–पत्र जारी किया गया था,

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

जो देना बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियमन 1976 के तहत दंडनीय है।

4. याचिकाकर्ता ने दिनाँक 6.05.1994 को आरोप–पत्र के सम्बन्ध में अपना जवाबदावा (दस्तावेज क्रमांक–6) प्रस्तुत किया था। जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद जांच किया तथा दिनांक 21.05.1994 को अपना प्रतिवेदन (दस्तावेज क्रमांक–9), प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि सभी आरोप सिद्ध पाए गए हैं और याचिकाकर्ता का कृत्य अत्यधिक संदिग्ध और अच्छे आचरण और अनुशासन का उल्लंघन करने वाला था। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने देना बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियमन 1976 के विनियमन 7(3) के तहत उनमें निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए जांच प्रतिवेदन से सहमत होकर, बिना नोटिस के तत्काल प्रभाव से सेवा से पदच्युत करने की शास्ति अधिरोपित की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. याचिकाकर्ता ने सेवा से पदच्युत किये जाने के आदेश दिनांक 16.11.1994 के विरुद्ध उत्तरवादी क्रमांक–2 के समक्ष अपील प्रस्तुत किया, उत्तरवादी क्रमांक– 2 ने अपने आदेश दिनांक 20.04.1995 (दस्तावेज क्रमांक–12–ए) के तहत जांच प्रतिवेदन में दर्ज निष्कर्ष तथा अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा तथा अपील को खारिज कर दिया।

6. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पराग कोटेचा ने तर्क प्रस्तुत किया कि जांच प्रतिवेदन इस तथ्य के आधार पर त्रुटिपूर्ण है कि जांच अधिकारी ने विबाध्यता के अधीन याचिकाकर्ता की संस्वीकृति और स्वीकारोक्ति अभिलिखित किया है। आगे यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता जांच अधिकारी का नाम नहीं जानता, जांच अधिकारी द्वारा कुछ अन्य अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करने की अनुमति नहीं दिया गया और जांच के दौरान याचिकाकर्ता को डराया धमकाया गया। साक्षियों का परीक्षण नहीं किया गया और अंत में यह तर्क दिया गया कि अंचल प्रबंधक जो सहायक महाप्रबंधक पंक्ति (रैंक) के अधिकारी थे, अनुशासनात्मक अधिकारी नहीं थे और इस प्रकार अंतिम आदेश उनके द्वारा पारित किया गया जो ऐसा आदेश पारित करने हेतु सक्षम नहीं थे।

7. उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पी.एस. कोशी ने तर्क प्रस्तुत किया कि जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा की गई संस्वीकृति या स्वीकारोक्ति के आधार पर

कार्यवाही नहीं किया है। जांच अधिकारी ने दोनों पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सभी सुसंगत दस्तावेजों और साक्षियों का परीक्षण किया है। जांच प्रतिवेदन परिपूर्ण है और याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से किये गये किसी भी संस्वीकृति या स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोप सिद्ध नहीं पाए गए हैं। आरोप–पत्र के पठन मात्र से यह स्पष्ट है कि आरोप–पत्र अंचल प्रबंधक (अनुशासनात्मक प्राधिकारी) द्वारा जारी किया गया था, याचिकाकर्ता को जांच प्राधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर दिया गया था।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना हैं तथा याचिका के साथ संलग्न अभिलेखों तथा उत्तरवादीगण द्वारा प्रस्तुत जबाबदावा का परिशीलन किया है।

9. वर्तमान मामले में आरोप पत्र दिनांक 23.03.1994 को जारी किया गया था, जब परिपत्र दिनांक 25.06.1987(अनुलग्नक आर– XVI) प्रभावशील था। उक्त परिपत्र के तहत वेतनमान–1 और 2 अधिकारियों के पद के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी संबंधित अंचल के प्रभारी सहायक महाप्रबंधक थे। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता वेतनमान–1 अधिकारी था, जब आरोप पत्र अंचल प्रबंधक, भोपाल द्वारा जारी किया गया था, जो सहायक महाप्रबंधक हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता का यह तर्क कि आरोप पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया था, निरस्त किया जाता है। याचिकाकर्ता के अन्य तर्क के संबंध में कि उसे कुछ अन्य अधिकारियों की सहायता लेने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था और उसके द्वारा किए गए संस्वीकृति और स्वीकारोक्ति दबाव के अधीन लिए गए थे, को केवल इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि जांच प्रतिवेदन की जांच अनुशासनात्मक प्राधिकारी, अंचल प्रबंधक तथा बाद में अपील में अपीलीय प्राधिकारी (उत्तरवादी क्रमांक–2) द्वारा किया गया था और सभी अधिकारियों ने जांच प्रतिवेदन से सहमत होने के विस्तृत कारण दिए हैं। मुझे जांच प्रतिवेदन, अंचल अधिकारी द्वारा सेवा से पदच्युत किये जाने का आदेश और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील में पारित आदेश में याचिकाकर्ता द्वारा बताई गई कोई भी दुर्बलता या अनियमितता नहीं पाया है। अतः, याचिकाकर्ता के तर्क को निरस्त किया जाता है।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि परिपत्र दिनांक 25.06.1987(अनुलग्नक आर–XVI) को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 के अंतर्गत अधिसूचित नहीं किया गया है, इस प्रकार इस पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है। परिपत्र स्पष्ट रूप से देना बैंक के मुख्य कार्यालय के क्षेत्रीय प्रबंधकों, जोनल प्रबंधकों और विभाग प्रमुख को संबोधित किया गया है। परिपत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निदेशक मंडल ने दिनांक 8.10.1997 को आयोजित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपनी बैठक में जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड वेतनमान–1 से लेकर शीर्ष कार्यकारी वेतनमान –VII तक के अधिकारियों के विभिन्न श्रेणियों के अनुशासनात्मक कार्रवाई मामलों वर्गीकृत करने हेतु अनुशासनात्मक प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी जैसे विभिन्न प्राधिकारियों की एक अनुसूची को मंजूरी दिया है। उपरोक्त कारणों के दृष्टिगत याचिकाकर्ता का तर्क अस्वीकार किए जाने योग्य है।

11. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि उत्तरवादीगण को निर्देश दिया जाये कि याचिकाकर्ता को दिये गये दंड में कमी/संशोधन हेतु उसके मामले पर विचार करे। उत्तरवादीगण इस निवेदन पर विधि के अनुसार उचित रूप से विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(12) उच्चतम न्यायालय ने **गणेश संतराम सिरुर बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य (2005)1 एस.सी.सी 13** के निर्णय में बैंक अधिकारी के अनुशासन एवं कदाचार से संबंधित मामले में निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया है: -

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"34. किसी भी राष्ट्रीयकृत/गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक प्रबंधक/अधिकारी और कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बैंक के नियमों और विनियमों के अनुसार कार्य करें और अपने दायित्वों का निर्वहन करें। अपने प्राधिकार से परे जाकर काम करना अपने आप में अनुशासन और विश्वास का उल्लंघन तथा कदाचार है। वर्तमान मामले में अपीलार्थी के विरुद्ध विरचित आरोप क्रमांक- 5 बहुत गंभीर प्रकृति का है। हम पहले ही संबंधित नियम उद्धरित चुके हैं जो बैंक प्रबंधक को उसकी पत्नी या उसके रिश्तेदार या किसी भी भागीदार के पक्ष में ऋण स्वीकृत करने से रोकता है। ऋण स्वीकृत करते समय अपीलार्थी ने इस पहलू को ध्यान में नहीं रखा और अवैध रूप से काम करते हुए ऋण स्वीकृत किया। बाद में उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से जारी ड्राफ्ट को न भुना कर इसे सुधारने की कोशिश किया, यद्यपि ड्राफ्ट जारी तो हुआ था लेकिन भुनाया नहीं गया था। ऋण स्वीकृत करने का निर्णय एक ईमानदारी पूर्ण लिया गया निर्णय नहीं है। नियम 34 (3) (1) निष्ठा का नियम है इसलिए, जैसा कि श्री साल्वे ने सही कहा है, उत्तरदाता बैंक अपीलार्थी को बैंक प्रबंधक के रूप में नहीं रख सकता। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पद से हटाये जाने का दंड उचित और न्यायसंगत है। समाप्त करने से पूर्व, हम **क्षेत्रीय प्रबंधक, यू.पी.एस.आर.टी.सी बनाम होती लाल** के निर्णय पर उपयोगी रूप से भरोसा कर सकते हैं,

जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है: (एस.सी.सी पृष्ठ 614, कंडिका 10)

"यदि आरोपित कर्मचारी किसी वैश्वासिक पद पर है, जहाँ ईमानदारी और सत्यनिष्ठा कार्य की अंतर्निहित आवश्यकताएँ हैं,ऐसी स्थिति में मामले को नरमी से निपटना उचित नहीं होगा। ऐसे मामलों में यदि कदाचार कारित किया जाता है तब उसका निपटारा सख्ती से करना होगा। जहाँ व्यक्ति ऐसा कार्य करता हो जो सार्वजनिक धन से संबंधित हो या वह वित्तीय लेन-देन में लगा हुआ है या वैश्वासिक हैसियत से कार्य करता हो, वहाँ उच्चतम स्तर की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता अनिवार्य और अपवाद रहित है। उस पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय की युगलपीठ द्वारा दिये गये निष्कर्ष उचित प्रतीत नहीं होते है। हम इसे अपास्त करते हैं तथा एकल न्यायाधीश द्वारा सेवा से पदच्युत किये जाने के आदेश को बहाल करते हुये, आदेश प्रत्यावर्तित करते है।"

(13) **गणेश संतराम सिरुर** (पूर्वोक्त) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के दृष्टिगत और ऊपर बताए गए कारणों से, यह याचिका खारिज की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(सतीश के.अग्निहोत्री)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur